न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2727–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–6–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज, जिला रायसेन प्रकरण कमांक 16/अपील/12–13.

डालचंद पुत्र स्व. श्री मिट्ठलाल कुर्मी
निवासी ग्राम बनडोली
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

भगवानसिंह उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र हीरालाल कुर्मी
निवासी वनडोली हाल निवास बूढ़ांगज
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री आर.के. जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिषक, अनावेदक
:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 26/11/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 11 पर पारित आदेश दिनांक 15–6–2007 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 16/अपील/अ–6/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद कमांक 11 ए/13 प्रचलित है, जिसमें इस आशय का वाद बिन्दु निर्धारित किया गया है कि क्या प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को स्वत्व

प्राप्त होते हैं, अथवा नहीं । अतः व्यवहार न्यायालय के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–6–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 राजस्व न्यायालयों पर लागू नहीं होती है, बल्कि व्यवहार न्यायालय पर लागू होती है, इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया

(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 उस स्थिति पर लागू होती है, जहां समान पक्षकारों के मध्य समान वाद विषय एवं समान सहायता विचाराधीन हो । अनावेदक की ओर से स्वत्व एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है, जिसे देने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है । राजस्व न्यायालयों को अपील में केवल यह देखना है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश वैधानिक है अथवा नहीं, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही स्थगित रखने में वैधानिक त्रुटि की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2005 (2) एम.पी.एल.जे. भाग 1 पेज 1 एस.सी. एवं 2013 आर. एन. 74 उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पैतृक सम्पत्ति है, और आवेदक को दूसरे ग्राम में भूमि दी गई है ।

(2) अनावेदक की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल व्यवहार न्यायालय में वाद लम्बित होने से व्यवहार वाद के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने सम्बंधी राहत चाही गई है, जिसका उल्लेख वाद पत्र में भी किया गया है, अतः

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही स्थगित करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(4) आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में स्वत्व के निराकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, और स्वत्व के आधार पर ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । चूंकि स्वत्व के निराकरण का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है, इसलिए कार्यवाही स्थगित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 11 पर पारित आदेश दिनांक 15–6–2007 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील में उनके द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कार्यवाही स्थगित की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभय पक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 11 ए/2013 प्रचलित है । व्यवहार न्यायालय के निर्णय से नामांतरण के प्रकरण पर प्रभाव पड़ता है, जो कि वैधानिक एवं उचित नहीं है, क्योंकि जब तक व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया जाता, तब तक राजस्व न्यायालय को कार्यवाही नहीं रोकना चाहिए । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे परीक्षण करें कि व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन दिया गया है अथवा नहीं । यदि स्थगन नहीं दिया गया है, तब वे अपील का विधिवत निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–14 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर